(A5)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 18 / 2020 (अपील)
GCMS No. 2020/00013

बाबूलाल आत्मज नन्दा जाति भील निवासी हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

—अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—-रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 22.10.2019 मि0नं0 94 / 2019 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी

उपस्थिति:–

1. श्री फारूख हुसेन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:–08.09.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम हनोतियां की भूमि खसरा नम्बर 53 की 0.38 हे0 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 94 / 2019 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 100 / – रूपये की शास्ति एवं 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 22.10.2019 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 18.02.2020 को पेश की गई है कि हल्का पटवारी ने अदालत मातहत में इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अपीलान्ट ने ग्राम हनोतियां की खसरा नं0 53 की 0.38 हे0 भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में अतिक्रमण कर काश्त की है । अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी के आरोप में लगान का पचास गुना तावान 100 / – कायम कर दिया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी के आरोप में नब्बे 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है । अदालत मातहत ने आस पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्व किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में हुक्म जेर अपील पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है तथा अपीलान्ट का

जिला कलेक्टर
कोटा

भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है व अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है । हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसका सर्वप्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर व गिरफ्तार करने व जमानत कराने पर हुआ । इस दिनांक 3.2.2020 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.2.2020 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई । इस प्रकार जानकारी की तिथि से नकल के दिन एवं अपील के खर्चे हेतु लगने वाले दिन को मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22.10.2019 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का ग्राम हनोतियां की आराजी खसरा नं0 53 की रकबा 0.38 हे0 पर कब्जा नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई कर अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए **तीन माह** के सिविल कारावास के दण्ड एवं 100/– जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है । वर्तमान में अपीलान्ट का कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है ओर ना ही भविष्य में कब्जा करेगा । अपीलान्ट द्वारा तावान राशि भी जमा करा दी गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.10.2019 निरस्त फरमाया जावें ।

5. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया है कि प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नहीं है ओर विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस आधार भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। चूंकि अपीलान्ट को गत वर्ष संवत् 2075 में भी उक्त भूमि पर अतिमक्रमण किया जाने से आदेश दिनांक 28.12.2018 से बेदखल किया गया था । रिपोर्ट एवं बयान पटवारी अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो उचित है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 22.10.2019 के विरूद्ध दिनांक 18.02.2020 को पेश की गई है । यह अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु अपील विलम्ब से पेश करने से प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 में बताए गये कारणों के आधार पर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा आदेश जेर अपील की जानकारी दिनांक 03.2.2020 से नकल प्राप्ति के दिनो को मुजरा करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति भील निवासी हनोतियां तहसील रामगंजमण्डी ने ग्राम हनोतियां की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.38 हे0 पर अनाधिकृत कब्जा कर फसल काश्त की है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को ग्राम हनोतियां के खसरा नम्बर 53 रकबा 0.38 हे0 चारागाह भूमि से बेदखली के आदेश करते हुए, 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए **तीन माह** के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
कोटा

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0नं0 53 रकबा 0.38 हे0 किस्म चारागाह से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग आदेश जारी होने के दौ माह के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा स्वयं अथवा पटवारी / भू–अभिलेख निरीक्षक के मार्फत करली जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत अवधि **दौ माह** में प्रस्तुत नहीं करता है तथा उक्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार रामगंजमण्डी अतिकमी अपीलान्ट को नियमानुसार सजा भुगतायेगें ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर

कोटा